आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
02.07.19	उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा। R.M.A. Case No. 12/2018-19 गुल्टन गोस्वामी **बनाम** बसन्ती देवी एवं अन्य **आदेश** प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No. 22/2017-18 में दिनांक–10.01.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता मौजा– बड़ाबहाल के निवासी है। मौजा– बड़ाबहाल के खाता संख्या–02, दाग संख्या–25, बाड़ी रकवा 4.23 एकड़ गत सर्वे खतियान में आसाराम तिवारी के नाम से दर्ज है। उक्त आसाराम तिवारी के विभिन्न मौजा में जमीन है। थाना– नारायणपुर के अंतगर्त मौजा– नौहथिया एवं मौजा– बड़ाबहाल सटा हुआ है। नाथु गोस्वामी को वसोवास हेतु बहुत संकीर्ण जगह रहने के कारण मौजा– बड़ाबहाल के लोकप्रिय व्यक्ति आसाराम तिवारी द्वारा वर्ष 1936 ई0 में रहने के लिए जमाबंदी सं0–02, प्लॉट सं0– 25 अंश रकवा 42 डी0 जमीन दिया गया। नाथु गोस्वामी के द्वारा इस जमीन पर रहने हेतु घर बनाया गया। नाथु गोस्वामी के मृत्यु के पश्चात उनके एक मात्र पुत्र बुधन गोस्वामी द्वारा शांतिपूर्ण बसोवास किया गया। बुधन गोस्वामी के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गुल्टन गोस्वामी के द्वारा भी शांतिपूर्ण वसोवास किया जा रहा है। इस प्रकार इस जमीन पर अपीलकर्त्ता एवं उनके पूर्वजों के द्वारा 1937 ई0 से ही शांतिपूर्ण दखल करते हुए वसोवास किया जा रहा है। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, नारायणपुर द्वारा पत्रांक– 672/रा0, दिनांक–14.11.2017 के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है, कि मौजा–बड़ाबहाल सं0– 18, खाता सं0– 02, दाग सं0– 25, रकवा 4.23 एकड़ किस्म जमीन बाड़ी रैयत आसाराम तिवारी के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है एवं वर्त्तमान में पाया गया कि उक्त दाग संख्या– 25 के कुल रकवा–4.23 एकड़ में से अंश रकवा0.42 एकड़ जमीन पर गुल्टन गोस्वामी, पिता– बुधन गोस्वामी, मौजा– नौहथिया द्वारा अवैध दखल किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में उनके द्वारा 1937 ई0 में उनके दादा नाथु गोस्वामी को खतियान रैयत आसाराम तिवारी से प्राप्त होने की कोई वैध साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा अधोहस्तक्षरी के न्यायालय में भी 1937 ई0 में उनके दादा नाथु गोस्वामी को खतियानी रैयत आसाराम तिवारी से प्राप्त होने संबंधी किसी प्रकार का कागजात/दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त दाग संख्या– 25 के कुल रकवा–4.23 एकड़ में से अंश रकवा0.42 एकड़ जमीन पर अपीलकर्ता द्वारा अवैध दखल किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No. 22/2017-18 में दिनांक 10.01.2018 का पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। तदनुसार अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित 02/7/19 02/7/19 उपायुक्त, जामताड़ा।	PB 73 dt 30.7.19

Scanned with CamScanner